भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5441
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

भिवानी-महेंद्रगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निधि

5441. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भिवानी-महेंद्रगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी निधि आवंटित की गई है और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस क्षेत्र में मेगा फूड पार्क और शीतागार सुविधाएं स्थापित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं और उनके लाभार्थियों की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार कृषि आधारित स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई विशेष अनुदान अथवा रियायतें प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना", केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" योजना के माध्यम से हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों सहित पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए चालू है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होने के कारण, पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत कोई राज्यवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। 2021-22 से पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत वर्षवार कुल आवंटन और उपयोग की गई धनराशि तथा 2021-22 से हरियाणा राज्य में पीएमएफएमई योजनाओं के तहत जारी धनराशि **अनुबंध-I** में दी गई है तथा 2021-22 से हरियाणा राज्य में इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालांकि, यह उद्यमियों को अनुदान के माध्यम से इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय ने 01.04.2021 से

मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। हालांकि, यह पीएमकेएसवाई की प्रासंगिक घटक योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीत भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): मंत्रालय विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि आधारित स्टार्टअप सहित भावी उद्यमियों को संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उद्यमियों को भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "भिवानी-महेंद्रगढ़ में एफपीआई को बढ़ावा देने के लिए फंड" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5441 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं में आवंटित धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
योजना	आर.ई.	ए.ई.	आर.ई.	ए.ई.	आर.ई.	ए.ई.	आर.ई.	ए.ई. 21.03.2025
पीएमकेएसवाई	791	713.49	673	561.92	745	666.21	630	472.34
पीएलआईएसएफपीआई	10	7.38	801	489.83	1150	590.45	699.96	186.58

आरई- संशोधित अनुमान, एई.- वास्तविक व्यय

पीएमएफएमई योजना के तहत हरियाणा राज्य को जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025)
1	हरियाणा	3.98	5.46	11.25	25

अनुबंध-II

दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "भिवानी-महेंद्रगढ़ में एफपीआई को बढ़ावा देने के लिए फंड" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5441 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क . 2021-22 से पीएमकेएसवाई की घटक योजना के तहत हरियाणा राज्य में अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	परियोजना का नाम	ज़िला	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
घटक योजना-- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना					
1	मेसर्स चौधरी चीज़ बाज़ार प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	08.12.2022	72.48	9.23
2	मेसर्स वी.एस. आनंद फूड प्रोसेसिंग	सोनीपत	28.06.2023	54.5055	10
3	मेसर्स एस एम फूड्स	गन्नौर	29.02.2024	38.9	10
4	मेसर्स एस्टर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	नूह (मेवात)	29.02.2024	72.1	10
5	मेसर्स सनराइज विक्टुअल्स प्राइवेट लिमिटेड	सोनीपत	29.02.2024	38.86	7.29
घटक योजना--कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना					
6	मेसर्स अनंत राज लिमिटेड	रेवाड़ी	10.11.2022	37.67	10
घटक योजना--खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना					
7	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	05.12.2022	11.82	3.32
8	मेसर्स इंडीज ग्लोबल फूड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	सोनीपत	05.12.2022	11.87	3.40
9	मेसर्स पाराव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स	सिरसा	05.12.2022	3.11	1.05
10	मेसर्स आरकॉम ऑयल्स एंड सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड	भिवानी	24.01.2023	20.70	5.00
11	मेसर्स दर्शन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	रेवाड़ी	08.07.2023	12.06	3.30
12	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	29.02.2024	21.11	5.00
13	मेसर्स एमकेआर फूड्स	सोनीपत	29.02.2024	8.25	2.87

ख. 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के तहत हरियाणा राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आधारित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

क्र.सं.	राज्य/जिला	अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या
1	हरियाणा	1319
2	भिवानी	48
3	महेंद्रगढ़	18

ग. 2021-22 से हरियाणा राज्य में पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत प्रतिबद्ध निवेश वाली परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	लक्ष्य खंड	प्लांट सिटी	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)
1	मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	फरीदाबाद	10.26
2	मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	सोनीपत	9
3	मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	सोनीपत	10.9
4	मेसर्स गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	फरीदाबाद	4.1
5	मेसर्स गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	गुडगाँव	13.75
6	मेसर्स गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	रोहतक	26.52
7	मेसर्स एलआरएम स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2-जैविक	सोनीपत	0
8	मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड	मिलेट एल.ई.	पानीपत	0
9	मेसर्स बीटीडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	सोनीपत	0

अनुबंध- III

दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "भिवानी-महेंद्रगढ़ में एफपीआई को बढ़ावा देने के लिए फंड" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5441 के भाग (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम @50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर सेअनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को

अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

<u>पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;
(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।
(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।
(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।
(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****